राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3221/2023

माया यादव **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर डिवीजन, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 30.11.2023
आदेश की दिनांक : 08.12.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप कलवानियां, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 02.10.2023 को अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल द्वितीय के पद पर उसके अंकों के आधार पर जयपुर जिले में पदस्थापित करने के आदेश जारी करने पर विचार किया जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल द्वितीय के पद पर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, पीपली नगर, भीम, जिला राजसमंद में कार्यरत है और आलोच्य आदेश दिनांक 02.10.2023 के द्वारा प्रत्यर्थी विभाग ने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालय में चयन हेतु अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया, जिसमें अपीलार्थी द्वारा अधिक अंक प्राप्त किए जाने के उपरांत भी उसे उक्त विद्यालय हेतु

चयन नहीं किया गया जबकि नीतू यादव का चयन किया गया जबकि उसने अपीलार्थी से कम अंक प्राप्त किए थे, जिसका नाम क्रम संख्या 320 पर अंकित है और इसी प्रकार लालचंद मीणा का भी चयन किया गया जिसका नाम क्रम संख्या 353 पर अंकित है। परंतु अपीलार्थी के नाम पर उक्त विद्यालय के चयन हेतु विचार नहीं किया। जबकि अपीलार्थी ने 20 अंक प्राप्त किए हैं और उक्त दोनों कार्मिकों ने 14 एवं 19.5 अंक प्राप्त किए हैं। अपीलार्थी उक्त चयन हेतु सभी योग्यता रखता है, परंतु उसके नाम पर जिला जयपुर में पदस्थापन हेतु विचार नहीं किया गया, जो नियम एवं विधि के विरूद्ध है। इस प्रकार अपीलार्थी के साथ प्रत्यर्थी विभाग द्वारा भेदभावपूर्ण तरीके से व्यवहार किया गया है और कार्मिकों को लाभ पहुंचाते हुए पदस्थापित किया गया है। जबकि अपीलार्थी को उक्त पदस्थापन से वंचित रखा गया है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 02.10.2023 को अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल द्वितीय के पद पर उसके अंकों के आधार पर जयपुर जिले में पदस्थापित करने के आदेश जारी करने पर विचार किया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत न करते हुए मौखिक रूप से प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी द्वारा जिलों के पुर्नगठन पश्चात् पुनः अपने जिले विशेष का विकल्प चाहा गया था और अपीलार्थी द्वारा प्रथम विकल्प जयपुर शहर दिया गया, परंतु उक्त जिले की मेरिट में स्थान नहीं बना पाने के कारण अपीलार्थी को उक्त जिला आवंटित नहीं किया गया प्रथम विकल्प के आधार पर तथा मेरिट के अनुसार जिला आवंटित किया गया है। साक्षात्कार में चयन हेतु मानक अंक या अधिक अंक प्राप्त करने पर चयन हो जाने मात्र से अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पदस्थापन का अधिकारी नहीं होगा। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल द्वितीय के पद पर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, पीपली नगर, भीम, जिला राजसमंद में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार अपीलार्थी ने जयपुर जिले के लिए आवेदन किया

गया। अनुलग्नक–3 पेज नं. 26 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा ऑनलाईन इंटीग्रेटेड शाला दर्पण पर न्यू डिस्ट्रिक्ट च्वाइस फीलिंग जिसमें च्वाइस 1, 2, 3 एवं 4 पदस्थापन स्थान भरने हेतु दर्शाए गए और अपीलार्थी द्वारा जयपुर, जयपुर ग्रामीण, कोटपूतली बहरोड एवं दूदू स्थान उक्त विकल्प पत्र में भरे गए, परंतु प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से हम सहमत नहीं हैं कि प्रथम च्वाइस के आधार पर ही अपीलार्थी का पदस्थापन नहीं किया गया और अनुलग्नक–5 के अवलोकन से स्पष्ट है कि नीतू यादव एवं लालचंद मीणा जिन्होंने 30 में से 19.5 एवं 14 अंक प्राप्त किए, फिर भी उनका चयन किया गया है। जबकि अपीलार्थी को उक्त विद्यालय में जयपुर जिले में चयन किए जाने से वंचित रखा गया है, जो नियम संगत नहीं है। जबकि अपीलार्थी भी जयपुर जिले में अंकों के आधार पर पदस्थापन पाने का अधिकारी है। अपीलार्थी द्वारा उक्त एक विकल्प के अलावा तीन अन्य विकल्प भी भरे गए हैं, जिस पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पदस्थापन हेतु अपीलार्थी के नाम पर विचार नहीं किया गया, जो उचित एवं नियमानुसार प्रतीत नहीं होता है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि विकल्प पत्र में मांगी गई पदस्थापन च्वाइसों और अपीलार्थी द्वारा विकल्प पत्र में भरे गए चारों च्वाइसों पर मेरिट के आधार पर नियमानुसार अपीलार्थी के पदस्थापन हेतु जयपुर जिले में इंग्लिश मीडियम विद्यालय में विचार कर उसको पदस्थापित किया जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य